न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 81/2017

वादी बनाम प्रतिवादी

1. राजेश मूंदडा पुत्र गणपतलाल मूंदडा,जाति–माहेश्वरी,निवासी–नोवेल्टी सिनेमा के पास, निम्बाहेडा जिला–चितोड़गढ़, जरिये आम मुख्त्यार संजय जैन पुत्र पी एस जैन जाति–जैन, निवासी हाल–ब्यावर, तहसील–ब्यावर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.01/05/2017

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/09/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 50 रकबा 2–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं, जो खातेदारान् कबूराम हीरा के नाम जमाबन्दी में गलत इन्द्राज हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की पेश की हैं। खसरा नम्बर 50 रकबा 2–02 बीघा के पूर्व खातेदार कबूराम, हीराराम, लाबुराम, हापुराम से उनके हिस्से की कृषि भूमि को जरिये विक्रय विलेख क्रमशः क्रमांक 2015003922 दिनांक 22/07/2015, क्रमांक 2015003921 दिनांक 22/07/2015, क्रमांक 2015004786 दिनांक 27/08/2015, क्रमांक 2015003920 दिनांक 22/07/2015 को प्रतिफल की राशि देकर वादी ने क्रय की तथा विक्रेता ने माफिक बेचान क्रेता को मौके पर भौतिक रुप से कब्जा संभला दिया। बेचान होने से लेकर आज तक मौके पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी ने क्रय की गई भूमि की बेचान रजिस्ट्री लेकर पटवार हल्का–टूंकड़ा के पास गया, तो उन्होंने कहा कि म्यूटेशन भर देगें, परन्तु टूंकड़ा के पास गया, तो उन्होंने नहीं भरने पर प्रतिवादी को म्यूटेशन भरने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 20/04/2017 को दिया, तो उन्होंने कहा तुम्हारे द्वारा क्रय की गई भूमि के हिस्सों का तथा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान् में दर्ज खातेदारान् के हिस्से का मिलान नहीं होने से म्यूटेशन भरना संभव नहीं हैं तथा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें। तब वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा का वाद–पत्र प्रस्तुत किया। वादी का नाम अपनी क्रय की भूमि में मात्र राजस्व रेकर्ड में मात्र तत्कालीन रेवेन्यू एजेन्सी के गलत हिस्से होने के आधार पर नाम दर्ज नहीं होता हैं, तो वादी को अपने विधिक हक अधिकारों से महरुम होना पड़ेगा असीम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हानि होगी। इसलिए वादी ने यह वाद-पत्र घोषणा का प्रस्तुत किया वादी ने यह वाद जरिये आम मुख्त्यारनामा के प्रस्तुत किया हैं। नकल आम मुख्त्यार पेश हैं। बिनायवाद दिनांक 20/04/2017 को वादी ने प्रतिवादी को क्रय की भूमि में नाम इन्द्राज का आवेदन पत्र पेश करने पर उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु कहने पर बमुकाम-निम्बेड़ाखुर्द, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया कि जरिए नामान्तरकरण संख्या 538 दिनांक 05/08/2011 रतनलाल पुत्र घीसाराम अविवाहित फौत होने पर हापूराम कबूराम लाबूराम हीराराम मदन पि0 घीसा, सुगना पुत्री घीसा दर्ज हुआ, नामान्तरकरण संख्या 628 के अनुसार हापूराम द्वारा 1/6 हिस्सा व लाबूराम द्वारा 1/6 हिस्सा शशिप्रभा सिंघानिया पुत्री विश्वनाथ, सुल्तानिया पत्नि बी.पी. सिंघानिया कौम-महाजन सा0-जिला-निमच दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 937 दिनांक 21/04/2017 के द्वारा शशिप्रभा के स्थान पर मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 मुम्बई 1/3 दर्ज हुआ। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 को तैयार करते समय कबूराम हीराराम मदन पि0 घीसा, शशिप्रभा सिंघानिया पुत्री विश्वनाथ, सुल्तानिया पत्नि बी.पी. सिंघानिया खातेदार दर्ज किया गया। जबकि हापूराम कबूराम लाबूराम हीरा मदन पि0 घीसा, सुगना पुत्री घीसा 1/6 हिस्सा दर्ज करने से छुट गया। वाद के समर्थन में वादी ने अपना साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। शपथ-पत्र में व्यक्त किया गया कि खसरा नम्बर 50 रकबा 2-02 बीघा के पूर्व खातेदार कबूराम, हीराराम, लाबूराम, हापूराम से उनके हिस्से की कृषि भूमि को जरिए विलेख क्रमशः क्रमांक 2015003922 दिनांक 22/07/2015, क्रमांक 2015003921 दिनांक 22/07/2015, क्रमांक 2015004786 दिनांक 27/08/2015, क्रमांक 2015003920 दिनांक 22/07/2015 को प्रतिफल की राशि देकर वादी ने क्रय की तथा विक्रेता ने माफिक बेचान क्रेता को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया। बेचान होने से लेकर आज तक मौके पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।

बहस वादी सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाबदावा एवं साक्ष्य शपथ-पत्र का गहनत से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खसरा नम्बर 50 रकबा 2-02 बीघा के पूर्व खातेदार कबूराम, हीराराम ने अपने हिस्से क्रमशः 1/6 एवं 1/36वां हिस्सा एवं लाबूराम व हापूराम ने 1/36वां हिस्सा जरिए विलेख बेचान वादी को किया हैं। हापूराम व लाबूराम द्वारा 1/6वां हिस्सा शशिप्रभा को पूर्व में बेचान किया हैं। परन्तु जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तैयार करते समय हापूराम कबूराम लाबूराम हीरा मदन पि0 घीसा, सुगना पुत्री घीसा 1/6 हिस्सा दर्ज करने से छुट गया। लिहाजा हापूराम कबूराम लाबूराम हीरा मदन पि0 घीसा, सुगना पुत्री घीसा 1/6 हिस्सा जमाबन्दी में अंकन कर कबूराम, लाबूराम, हीराराम, हापूराम द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा वादी को बेचान करने से इनके स्थान पर वादी का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की घोषणा करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 50 रकबा 2–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में हापूराम कबूराम लाबूराम हीरा मदन पि0 घीसा, सुगना पुत्री घीसा 1/6 हिस्सा जमाबन्दी में अंकन कर वादी को रजिस्टर्ड बेचान के अनुसार कबूराम, लाबूराम, हीराराम, हापूराम द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा वादी को बेचान करने से इनके स्थान पर वादी का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/09/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

वादी बनाम **प्रतिवादी**

1. राजेश मूंदडा पुत्र गणपतलाल मूंदडा, जाति–माहेश्वरी, निवासी–नोवेल्टी सिनेमा के पास, निम्बाहेडा जिला–चितोड़गढ़, जरिये आम मुख्त्यार संजय जैन पुत्र पी एस जैन जाति–जैन, निवासी हाल–ब्यावर, तहसील–ब्यावर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 81/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 50 रकबा 2–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में हापूराम कबूराम लाबूराम हीरा मदन पि0 घीसा, सुगना पुत्री घीसा 1/6 हिस्सा जमाबन्दी में अंकन कर वादी को रजिस्टर्ड बेचान के अनुसार कबूराम, लाबूराम, हीराराम, हापूराम द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा वादी को बेचान करने से इनके स्थान पर वादी का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/09/2017 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01–00	स्टाम्प वकालतनामा	/
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	06–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	0 –	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	07–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	15–00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner